

नोट -

1. शपथपत्र वाक्यन पठना करने के अंतिम दिन को 3.00 उपरांत तक काटल किया जाना चाहिए।
2. शपथपत्र का किसी शपथ समितिकर या प्रथम दर्जा के नोटरीयट के समक में किसी नोटरीय अधिकारी के समक्ष ही जारी चाहिए।
3. सभी कार्य को भरा जाना चाहिए और कोई खाली जगह नहीं छोड़ी जाए। यदि किसी मध्य में खाली में देने को लिए कोई समझौता नहीं है तो यथास्थित 'शून्य' या 'खाली नहीं होता' उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. शपथपत्र उचित या सुपरदस्तावेज से साफ- साफ लिखित होना चाहिए।

नोट 2

अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शपथ- यत्र दखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकार (सिपिल) सं 2008 की सं 121 - विस्तारित इतिहास बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिए गए दिनांक 13.08.2013 के निर्णय के अनुसार जहाँ से अनुच्छेद 324 द्वारा जारी कालम में जाने आवश्यक है। किसी भी कालम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ- पत्र दखिल करने के समय रिटनिंग अधिकारी को यह जांच करनी होती है कि शपथपत्र पत्र के साथ दखिल किए गए शपथ- पत्र के सभी कालम भरे हुए हैं। यदि नहीं तो रिटनिंग अधिकारी कालम को खाली कालम में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुमतिपत्र देगा। माननीय न्यायालय ने यह अनिवार्य नियम है कि यदि किसी मध्य में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कालम में यथास्थित रिटनी के 'शून्य' या 'खाली नहीं होता' का 'झल नहीं है।' जका भी है। उपयुक्त रिटनी पर्याप्त जाएगी। उन्हें कोई कालम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुमतिपत्र देने के बावजूद कोई अन्यायी खाली कालम करने में असमर्थ रहता है तो माननीय पत्रों की जांच के समय रिटनिंग अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों का पत्र निरस्त किए जाने के लिए कलारवादी होंगे।

नोट 3

शपथ-पत्र के पैर 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार अपलब्ध करावी जानी चाहिए-

नेर टेलीफोन नं 9698011111 #/81
 नेर ईमेल आई डी (यदि कोई हो) murkesingh.office@gmail.com
 और नेर सोशल मीडिया एकाउंट (यदि कोई हो) face book



अधिकांश दायीय अधिकारी
 विद्यान परियोजना
 नगर - 8

1. मुकेश कुमार सिंह
 सं. 42
 2. राजेश कुमार सिंह
 3. राजेश कुमार सिंह
 4. राजेश कुमार सिंह

क्र.सं.	नाम	पता	सिद्धि के दिनांक और अधिकार क्षेत्र का विवरण	अंशदाता के पता
1	म.स. राजेश कुमार सिंह	ALPDS-8074	2012-13	553988
2	म.स. राजेश कुमार सिंह	ALPDS-8074	2013-14	
3	म.स. राजेश कुमार सिंह			
4	म.स. राजेश कुमार सिंह			
5	म.स. राजेश कुमार सिंह			

NOTARY

पृष्ठ 28
जिला : क. दिल्ली



श्री अशोक कुमार शर्मा निर्वाचन क्षेत्र से
निर्वाचन क्षेत्र का नाम

विशाल शर्मा जिले का नाम से लिए निर्वाचन के लिए निर्दिष्ट अधिकार के शपथ अर्पण
द्वारा प्रस्तुत किया गये गये शपथपत्र

नाम - क

मैं शुभेन्द्र कुमार सिंह पुत्र/पत्नी/पत्नी के नाम शुभेन्द्र कुमार सिंह
का मुझे 143 वर्ष को 2018 के लिए निर्वाचन से अर्पण है।

(जब का पूरा पत्र लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अर्पण हूँ। शपथपत्र को
प्रतिष्ठा करता हूँ/करती हूँ, राज्य पर निम्नलिखित कर्तव्य करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल का नाम, द्वारा चयन किया
गया है। / **एक संवैधानिक अर्पण के रूप में उल्लेख है।

(2) मैं शुभेन्द्र कुमार शर्मा निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में नाम से 143 के रूप में 1983
के लिए निर्वाचन से अर्पण किया गया है।

(3) मेरा सम्पर्क पता म. 26882 2 1111 है/ है और मेरा पता नैत अर्पण (पते को छोड़ें)
है।

(4) मैं शुभेन्द्र कुमार शर्मा के पते और उम्र का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रदान करता हूँ।

क्रम सं.	नाम	दिन	विशेष वर्ष जिसके लिए अधिक आयुकर विवरण काहल की गई है।	आयुकर विवरण में उपरोक्त मूल आय (रुपये में)
1	शुभेन्द्र कुमार सिंह	18/05/59	2012-13	3647000
2	पति या पत्नी <u>शुभेन्द्र</u>	18/05/59	2012-13	3545432
3	आयुक्त-1	/	/	1365800
4	आयुक्त-2	/	/	/
5	आयुक्त-3	/	/	/

NOTARY

यदि अतिरिक्त दोने किले उपरोक्त (अपराधी) का / की अतिरिक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी
प्रस्तुत करेगा/करेगी

(i) निम्नलिखित मसल (एनमें) में विरुद्ध लम्बित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारवाय से उपरोक्त
किले अर्पण के लिए आवश्यक दस्त अर्पण विरहित किया गया है/ विरत नर है।

(क)	मसल/ प्रथम मुकदमा रिपोर्ट सभ्य/सभ्यारी कोर्ट सम्बन्धित पुलिस थाना/जिला/ राज्य के पूर्ण पत्र	10
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियम) की धारा (अपराधी) और अपराधी (अपराधी) का सक्षय विवरण जिसके (जिनके) लिए अर्पण किया गया है	10
(ग)	शपथपत्र का नाम, मसल संख्या और सभ्य लेने की तारीख की तारीख	10
(घ)	शपथपत्र जिसके (जिनके) द्वारा अर्पण (अपराधी) को विचार की गई	10
(ङ)	तारीख (अपराधी) जिसका अर्पण विरहित किए गए व	10
(च)	जब तक कि कोई कार्यवाही किले मसल अधिनियम के लिए शपथपत्र द्वारा रोकी गई है/है	10

(ii) निम्नलिखित मसल(एनमें) में विरुद्ध लम्बित है/है, जिनमें शपथपत्र द्वारा सभ्य लिया गया है:-
[पूर्वका म. (i) में उल्लेख मसलों से निम्न] :-

(क)	शपथपत्र का नाम, मसल संख्या और सभ्य लेने की तारीख (अपराधी)	10
(ख)	उप मसल के पत्र जहां शपथपत्र में सभ्य लिया है, अधिनियम (अधिनियम) की धारा (अपराधी) और अपराधी (अपराधी) का सक्षय विवरण जिसके (जिनके) लिए सभ्य किया गया है	10
(ग)	प्राथमिक अर्पण (अपराधी) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए काहल की गई अपील(अपराधी)/अवेदन (अपराधी) (यदि कोई हो) के पत्र	10

(क) मुझे किले उपरोक्त (अपराधी) लोक अधिनियम 1951 (1951 का 43) धारा 8 की उपधारा (1)
या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत उल्लेख पत्र किले उपरोक्त (अपराधी) से विचार के लिए
विशेष उल्लेख गया है/ नहीं उल्लेख गया है।

यदि अतिरिक्त उपरोक्त में विरुद्ध उल्लेख गया और दस्तावेज किया गया है तो यह निम्नलिखित
अनुसारी प्रस्तुत करेगा

NOTARY

संविद्ध नाम (अपारंजित शर्मा)					
अवस्थिति (अवस्थिति)					
संविद्ध संख्या (संख्या)					
द्वय (द्वय फूट में कुल नाम)					
निम्न द्वय (द्वय फूट में कुल नाम)					
यदि विरासत में कोई संपत्ति है (हां या नहीं)					
संपत्ति संपत्ति की दरों में द्वय की					
संपत्ति					
द्वय के अन्य भूमि की लागत/ द्वय की					
द्वय में कोई विनिधान					
अनुमानित मूल्य बाजार मूल्य					
(iv) अपारंजित शर्मा (अपारंजित शर्मा)	130000/-	100000/-			
अवस्थिति (अवस्थिति)					
संविद्ध संख्या (संख्या)					
द्वय (द्वय फूट में कुल नाम)					
निम्न द्वय (द्वय फूट में कुल नाम)					
यदि विरासत में कोई संपत्ति है (हां या नहीं)					
संपत्ति संपत्ति की दरों में द्वय की					
संपत्ति					
द्वय के अन्य भूमि की लागत/ द्वय की	200000/-	250000/-			
द्वय में कोई विनिधान					
अनुमानित मूल्य बाजार मूल्य					
(v) अन्य (जैसे कि संपत्ति में द्वय)					
(vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल मूल्य					



NOTARY

यदि कोई विशेष संपत्ति और विरासत के रूप में दफ्तरों/ को दफ्तरी के बीच संपत्ति बंटाने के लिए कुछ कर, शुल्क, निष्काश या अन्य के नाम और संपत्ति प्रत्येक को शक्य रहने के लिए का प्रस्ताव दिवस है।

क्र. सं.	विवरण	राशि	पति या पत्नी	अनुमानित - 1	आश्रित - 2	आवक - 3
(i)	द्वय/ विरासत संपत्ति (संख्या) का द्वय का नाम, अवस्थिति, द्वय की प्रकृति	100000/-	अपारंजित शर्मा			
	पूर्वोक्त संपत्ति से द्वय किन्हीं अन्य दफ्तरों, निष्काश को द्वय या द्वय नाम, अवस्था, अवधि, नाम की प्रकृति कोई अन्य दफ्तर					
	दफ्तरों का कुल मूल्य					
	सर्वकारी शोध					
	सरकारी बंधन से बचने वाले दिवसों का शोध					
	जल आपूर्ति से बचने वाले दिवसों का शोध					
	विद्युत आपूर्ति से बचने वाले दिवसों का शोध					
	टेलीफोन/ नेटवर्क आपूर्ति से बचने वाले दिवसों का शोध					
	टेलीफोन/ पारंपरिक संचारण और टेलीफोन संचारण से बचने वाले दिवसों का शोध					
	आवक शोध					
	संचालन शोध					
	नागरपालिका/ संपत्ति कर शोध					
	दिवस कर शोध					
	कोई अन्य शोध					
(ii)	सभी सरकारी शोध का कुल योग					
(iv)	यदि कोई अन्य दफ्तर विवादशील है यदि हां तो अनुमानित रुकान और उस सरकारी विवादें रुकान पर उचित है का वर्णन करें।					



NOTARY

सं. 20/2024
 दि. 14/11/24

(10) नीचे दिये गये प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
 प्रमाण पत्र/विनियम/विधि पारदणन के पूर्ण प्रकाश का उल्लेख करते हुए उत्कलन विद्यालय / विश्वविद्यालय
 विद्या के नीचे दिये हुए विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और जहाँ जिनसे पाठ्यक्रम पूरा
 किया गया था का बोट दीजिए।

भाग - ख

(11) भाग क के (1) से (10) में एक से दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

1.	अध्यक्ष का नाम	डॉ. श्रीमती/कुमुदी...
2.	कार्य का पूरा नाम	...
3.	विद्यार्थी संख्या और नाम तथा राज्य	...
4.	एक राजनैतिक दल का नाम जिसमें अध्यक्षों की संख्या कम है (अथवा स्वयंसेवकों की संख्या कम है) की संख्या जिनमें से एक या अधिक सदस्यों को चुना गया है।	...
5.	एक राजनैतिक दल का नाम जिसमें अध्यक्षों की संख्या कम है (अथवा स्वयंसेवकों की संख्या कम है) की संख्या जिनमें से एक या अधिक सदस्यों को चुना गया है।	...
6.	एक राजनैतिक दल का नाम जिसमें अध्यक्षों की संख्या कम है (अथवा स्वयंसेवकों की संख्या कम है) की संख्या जिनमें से एक या अधिक सदस्यों को चुना गया है।	...



7.	का सदस्यी संख्या	यह वर्ष जिसके लिए अधिनियम पारित किया गया है	कुल दक्षिण आय		
(क) अध्यक्ष	...	2013-14	2644443		
(ख) पत्नी या पत्नी	...	2011-12	968100		
8.	अभिलेख और दाखिले के क्रम (क्रम में)	वर्ष	आक्षेप-1	आक्षेप-2	आक्षेप-3
9.	प्रमाण पत्र/विनियम/विधि पारदणन (कुल नुमा)	वर्ष

11/11/24

1.	अध्यक्ष का नाम	...
2.	कार्य का पूरा नाम	...
3.	विद्यार्थी संख्या और नाम तथा राज्य	...
4.	एक राजनैतिक दल का नाम जिसमें अध्यक्षों की संख्या कम है (अथवा स्वयंसेवकों की संख्या कम है) की संख्या जिनमें से एक या अधिक सदस्यों को चुना गया है।	...
5.	एक राजनैतिक दल का नाम जिसमें अध्यक्षों की संख्या कम है (अथवा स्वयंसेवकों की संख्या कम है) की संख्या जिनमें से एक या अधिक सदस्यों को चुना गया है।	...
6.	एक राजनैतिक दल का नाम जिसमें अध्यक्षों की संख्या कम है (अथवा स्वयंसेवकों की संख्या कम है) की संख्या जिनमें से एक या अधिक सदस्यों को चुना गया है।	...



सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिलेखी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस दस्तावेज़ की
 विश्व-पट्टी में सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार तैयार की गई है, और इसका कोई भाग मिथ्या
 नहीं है तथा इसमें से कोई भी त्रुटि त्रुटि नहीं है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि—
 (क) मैंने विश्व-पट्टी भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषों का मामला या उचित मामले से
 निम्न कोई दोषों का मामला या उचित मामला नहीं है।
 (ख) मैंने भाग क या पत्नी या से उल्लिखित के साथ ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 9 और
 10 में उल्लिखित आलेख या दाखिले से निम्न कोई कल्पित या दाखिले नहीं है।

आज तारीख 12/11/24 को सत्यापित किया।
 [Signature]
 अभिलेखी

Digitally signed by [Name]
 who has been
 certified by [Name]
 certificate of [Name]